ग्राम : सर्ड
Gram : SIRD

दूरभाष Phone : 05212-298292
फैक्स Fax : 05212-298291
ई.पी.वी.एक्स. EPBX : 05212-298209
Website : www.sirdup.in
E-mail : sirdup@sirdup.in

दी.द.उ. राज्य ग्राम्य विकास संस्थान

बख्शी-का-तालाब, इन्दौरा बाग, लखनऊ-226202

D.D.U. State Institute of Rural Development

Bakshi-Ka-Talab, Indaurabagh, Lucknow-226202

पत्रांक Ref. No. 131/16 (70)/2012-13 दिनांक Date : 20.1.2014

सेवा में,

जिलाधिकारी,

जनपद–बाराबंकी, मैनपुरी, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज (कांशीरामनगर), फर्रूखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, कौशाम्बी, छत्रपति शाहूजी महाराज नगर, रायबरेली एवं ललितपुर।

विषय– ***उ0प्र0 वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना के द्वितीय चरण क्षेत्रों में विभिन्न स्टेक होल्डर्स में 'सहभागी सिंचाई प्रबन्धन' के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु जनपद स्तरीय लांचिंग कार्यशालाओं का आयोजन।***

महोदय,

अवगत हैं कि सिंचाई विभाग, उ0प्र0शासन द्वारा विश्वबैंक के वित्तीय सहयोग से प्रदेश में **'वाटर सेक्टर रिस्ट्क्चरिंग प्रोजेक्ट'** का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसमें आपका जनपद भी शामिल है। उक्त प्रोजेक्ट के अन्तर्गत नहर प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण के साथ–साथ 'सहभागी सिंचाई प्रबन्धन (Participatory Irrigation Management)' मुख्य रूप से शामिल है। सहभागी सिंचाई प्रबन्धन के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा 'उ0प्र0 सहभागी सिंचाई अधिनियम 2009' प्रख्यापित किया गया है। परियोजना के संबंध में विस्तृत एवं विशिष्ट सूचनायें/निर्देश/कार्यक्रम आदि सिंचाई विभाग उ0प्र0 शासन द्वारा परिचालित किये गये हैं। उ0प्र0 वाटर सेक्टर रिस्ट्क्चरिंग प्रोजेक्ट फेज–2 (वर्तमान फेज) के क्रियान्वयन में प्रदेश शासन द्वारा दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान संगठन को भी महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है, जिसमें लक्षित जनपदों में व्यापक स्तर पर जनजागरण में प्रोजेक्ट एवं अधिनियम के संबंध में माहौल तैयार करने एवं तदंतर अधिनियम के अन्तर्गत 'गठित जल उपभोगता समितियों (Water User Associations)' का प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास शामिल है, ताकि जल उपभोक्ता समितियां अपने दायित्वों का समुचित एवं दक्षतापूर्वक निवर्हन करते हुए नहर प्रणाली का प्रदेश के कृषि एवं आर्थिक विकास में दक्षतापूर्वक प्रबन्धन कर सकें।

2. अवगत हैं कि दूरगामी प्रभाव वाली 'सहभागी सिंचाई प्रबन्धन' की अवधारणा को मूर्त रूप देने हेतु जनमानस; खासतौर से कृषकों एवं कृषि गतिविधियों से जुड़े विभिन्न विभागों के कार्मिकों को बौद्धिक एवं भौतिक रूप से तैयार होने हेतु व्यवस्था की सम्यक जानकारी और उसके विभिन्न

पहलुओं की विश्लेषणात्मक समझ व सोच का होना जरूरी है। यह एक व्यापक कार्यक्रम है, जिसे आन्दोलन के रूप में चलाया जाना है, जिसके प्रथम चरण में दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान द्वारा परियोजना में शामिल सभी जनपदों में जिला स्तरीय लांचिंग कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। अभी तक तीन जनपदों– बाराबंकी, फतेहपुर एवं कौशाम्बी में उक्त कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं व शेष जनपदों में भी माह जनवरी व फरवरी 2014 में ऐसी कार्यशालाएं नियत हैं।

3. अभी तक आयोजित कार्यशालाओं में यद्यपि कृषकों द्वारा उत्साह के साथ एवं पर्याप्त संख्या में भाग लिया गया किन्तु प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन से संबंधित अन्य विभागों के स्थानीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित रूचि/सहयोग नहीं दिया गया। आप सहमत होंगे कि प्रोजेक्ट के स्वरूप एवं दूरगामी प्रभाव वाले उददेश्यों को देखते हुए संगत एवं संबंधित विभागों के कार्मिकों का सक्रिय सहयोग एवं भागीदारी नितांत आवश्यक है।

4. अतः अनुरोध है कि अपने जनपद में नियत 'सहभागी सिंचाई प्रबन्धन लांचिंग कार्यशाला' के सफलतापूर्वक एवं सोददेश्य आयोजन हेतु प्रभावी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(एन0 एस0 रवि)

आई0ए0एस0

महानिदेशक

पत्रांकः 13/16(70)/2012-13

दिनांकः 20 जनवरी 2014

प्रतिलिपिः–

1. **कृषि उत्पादन आयुक्त**, उ0प्र0शासन को अवलोकनार्थ।
2. **प्रमुख सचिव सिंचाई**, उ0प्र0शासन को इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से सिंचाई विभाग के फील्ड स्तरीय संगठन को समुचित निर्देश देने का कष्ट करें।
3. **मण्डलायुक्त**, फैजाबाद, कानपुर, इलाहाबाद, झाँसी, आगरा, अलीगढ़, रायबरेली एवं लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से भी संबंधित को आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।

20.1.2014

(एन0 एस0 रवि)

आई0ए0एस0

महानिदेशक